पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/17

अनवान :

1. भगवानाराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. श्योनारायण दतक पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी लाखनवास।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
3. करतारसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
4. कमला पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
5. कलावती पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट) बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री महावीर सिंह बैनीवाल, पेरोकार राज प्रतिवादी सं0 6 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 288/288 के मु0नं0 65 के किला नं0 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22 एवं मु0नं0 66 के किला नं0 16 से 25, मु0नं0 67 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 5, 6, 15 मु0नं0 91 के किला नं0 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 13, 14/1, 14/2, 15 मु0नं0 92 के किला नं0 1/1, 1/2, 2 से 15 कुल क्षेत्रफल 12.232 है0 बारानी एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 214/220 के मु0नं0 147 के किला नं0 6, 7, 14 से 16, 17/1, 17/2, 25/1, 25/2 मु0नं0 148 के किला नं0 9 से 12, 16 से 25 मु0नं0 149 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 167 के किला नं0 1 मु0नं0 168 के किला नं0 5 कुल 5.819 है0 नहरी 1.6930 है0 बारानी 4.048 है0 खाला 0.078 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3-1-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/17

अनवान :

1. भगवानाराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. श्योनारायण दतक पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी लाखनवास।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
3. करतारसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
4. कमला पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
5. कलावती पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी लाखनवास।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में परिवर्तित भारतीय स्टेट) बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**
वकील श्री महावीर सिंह बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**
पैरवी कर्ता पेरोकार राज : **प्रतिवादी सं0 6**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 288/288 के मु0नं0 65 के किला नं0 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22 एवं मु0नं0 66 के किला नं0 16 से 25, मु0नं0 67 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 5, 6, 15 मु0नं0 91 के किला नं0 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 13, 14/1, 14/2, 15 मु0नं0 92 के किला नं0 1/1, 1/2, 2 से 15 कुल क्षेत्रफल 12.232 है0 बारानी एवं रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता सं0 312/312 के मु0नं0 9 के किला नं0 1 से 10, 15 की कुल 2.024 है0 बारानी एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 214/220 के मु0नं0 147 के किला नं0 6, 7, 14 से 16, 17/1, 17/2, 25/1, 25/2 मु0नं0 148 के किला नं0 9 से 12, 16 से 25 मु0नं0 149 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 167 के किला नं0 1 मु0नं0 168 के किला नं0 5 कुल 5.819 है0 नहरी 1.6930 है0 बारानी 4.048 है0 खाला 0.078 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने दत्तक पिता श्योराम से विरासतन प्राप्त हुई है एवं वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 से 5 प्रतिवादी श्योराम के पुत्र पुत्रियां है। चूकि उपर वर्णित कृषि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति है। उपर वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 5 का प्रतिवादी श्योनारायण के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता होने के नाते वाद भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी ने वादी भगवानाराम के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 9जेएसएल खाता सं0 312/312 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10जेएसएल खाता सं0 214/220 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 288/288 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 9 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 11 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 व 7, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, चित्रप्रति लैण्ड एलओसी प्रमाण पत्र आईसीआईसीआई बैंक प्रदर्श 9ए, चित्रप्रति लैण्ड एलओसी प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक प्रदर्श 10ए, चित्रप्रति लैण्ड एलओसी प्रमाण पत्र स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रदर्श 11ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने दत्तक पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ–साथ वादी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं पक्षकारान में राजीनामा हो गया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 9 जेएसएल, 10 जेएसएल व 11 जेजीडब्ल्यु में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि होना व प्रतिवादी सं0 1 को अपने दत्तक पिता से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 11 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 व 7 पेश किये है जिनमें वाद भूमि श्योराम वल्द रेखा अर्थात् प्रतिवादी सं0 1 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है श्योराम से ही श्योनारायण को विरासतन प्राप्त होना व उक्त विरासतन चली आ रही कृषि भूमि में वादी का हक हिस्सा होना साबित है एवं प्रस्तुत असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 से श्योनारायण के मौजूदा वारिसान में तीन पुत्र भगवानाराम, ओमप्रकाश, करतारसिंह व दो पुत्रियां कमला व कलावती होना

अंकित है। परन्तु चक 9 जेएसएल के खाता सं0 312/312 में वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 में शोनारायण पि0मु0 शोराम कौम जाट दर्ज है जबकि वादी ने वाद में अपना नाम श्योनारायण व पिता का नाम श्योराम अंकित किया है व वाद में दोनों नाम समान होने का कहीं अंकन नहीं है इसलिए चक 9 जेएसएल की भूमि पैतृक भूमि साबित नहीं है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 288/288 के मु0नं0 65 के किला नं0 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22 एवं मु0नं0 66 के किला नं0 16 से 25, मु0नं0 67 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 5, 6, 15 मु0नं0 91 के किला नं0 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 13, 14/1, 14/2, 15 मु0नं0 92 के किला नं0 1/1, 1/2, 2 से 15 कुल क्षेत्रफल 12.232 है0 बारानी एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 214/220 के मु0नं0 147 के किला नं0 6, 7, 14 से 16, 17/1, 17/2, 25/1, 25/2 मु0नं0 148 के किला नं0 9 से 12, 16 से 25 मु0नं0 149 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 167 के किला नं0 1 मु0नं0 168 के किला नं0 5 कुल 5.819 है0 नहरी 1.6930 है0 बारानी 4.048 है0 खाला 0.078 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3-1-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़